(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2148–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 72/2015–16/अपील.

सुरेश नारायण पुत्र रामभरौसे
निवासी खिड़किया मोहल्ला भिण्ड
तहसील व जिला भिण्ड

——— अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,
2. जितेन्द्र सिंह
3. योगेन्द्र सिंह पुगण हवलदार सिंह
निवासीगण चतुर्वेदी नगर भिण्ड तहसील
व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

——— प्रत्यर्थीगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक प्रत्यर्थी कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 07/6/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 09–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक आवेदन पत्र कलेक्टर भिण्ड के समक्ष संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत पेश कर कस्बा भिण्ड के सर्वे कमांक 2355 रकवा 0.157 है0 के नक्शे सुधार हेतु प्रस्तुत किया। कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 38/2013–14/अ–74 में पारित

आदेश दिनांक 12–10–2015 से राजस्व रिकार्ड में संशोधन का आदेश दिया। कलेक्टर भिण्ड द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 09–6–2016 के द्वारा अपील स्वीकार कर कलेक्टर भिण्ड का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपीलार्थी ने कलेक्टर के समक्ष इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया कि करबा भिण्ड के सर्वे कमांक 2355 रकवा 0.157 है0 की नवीन नक्शे में आकृति बदल गयी है जिससे आवेदक का सेर्व कमांक 2355 में रकवा 0.157 है कम हो गया है अतः नक्शा संशोधित किया जावे। जिसपर कलेक्टर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर प्रतिवदेन आदि प्राप्त करने के उपरांत नक्शा सुधार का आदेश दिया था, परन्तु प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं थे उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थीयों का कोई स्वत्व भी प्रमाणित नहीं होता है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीयों को बिना अपील अनुगति के अपर आयुक्त ने कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क किया कि अपर आयुक्त ने 70 वर्ष बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तथ्य भी अभिलेख के विपरीत होने से माने जाने योग्य नहीं है। नक्शा सुधार से खसरे में अंकित रकवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अन्य किसी के स्वत्व भी प्रभावित नहीं हुये हैं तथ्झा नक्शा की आकृति पूर्ववत बन्दोबस्त के अनुसार रहती है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश पूर्णरूप से निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के ही कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 शासकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि प्रकरण का अभिलेख के आधार पर निराकरण किया जाये।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत उसके स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 2355 की आकृति नक्शा में त्रुटिपूर्ण निर्मित हो जाने से पूर्व नक्शे के आधार पर संशोधित करने हेतु प्रस्तुत किया जिसपर कलेक्टर ने प्रश्नाधीन भूमि के हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष मौका स्थल निरीक्षण किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख को निर्देशित किया। कलेक्टर के आदेश के पालन में अधीक्षक भू–अभिलेख ने विधिवत स्थल पर मौका पंचनामा तैयार कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मात्र नक्शे की आकृति में संशोधन किये जाने प्रस्तावित किया। अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने उपरांत कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–10–15 के द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नम्बरान के नक्शा संशोधन से शासकीय भूमि प्रभावित न हो को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व रिकार्ड में संशोधन का आदेश दिया। कलेक्टर के समक्ष प्रत्यर्थीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई आधार नहीं दिया कि वे किस प्रकार प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने जिन आधारों पर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है उनका कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख में संलग्न नहीं पाया गया। अपीलार्थी

द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय की है जिसके बंदोबस्ती नक्शे के अक्स में परिवर्तन हो जाने से उसके संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने विधिवत प्रकिया अपनाकर अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रवितेदित किये गये नक्शे में संशोधन के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं नियमानुकूल प्रकट होने से स्थिर रखने जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 09–6–2016 निरस्त किया जाता है। कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 12–10–2015 यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर